UPBH010032992024

<u>न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश**(ई०सी०एक्ट),** बहराइच।</u>

मु०सं०-606/2024

मु०अ०सं०-244/2021

सरकार ------बनाम-------फिरोज अहमद

धारा-138-1(बी) वि०अधि०

थाना-एंटी पावर थेफ्ट, जिला बहारइच।

<u>10-03-2026</u>

पत्रावली आज पेश हुई। अभियुक्त फिरोज अहमद पुत्र करिमुल्लाह की तरफ से प्रार्थना-पत्र मय शमन शुल्क/राजस्व निर्धारण जमा रसीद प्रस्तुत किया गया है एवं विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त द्वारा विद्युत विभाग में राजस्व निर्धारण व शमन शुल्क जमा किया जा चुका है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क धनराशि-2,000/- रुपए एवं राजस्व निर्धारण मु०-2,000/- व मु०-7,775/- विभाग में जमा कर दिया गया है। अतः भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-152 की उपधारा-3 के तहत अपराध को प्रशमनित मानते हुए अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त फिरोज अहमद पुत्र करिमुल्लाह को मुकदमा अपराध संख्या-244/2021 अन्तर्गत धारा-138-1(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003, थाना-एंटी पावर थेफ्ट, जिला बहराइच से दोषमुक्त किया जाता है। यदि इस प्रकार अभियुक्त फिरोज अहमद पुत्र करिमुल्लाह पर विद्युत विभाग का कोई अन्य देय अवशेष हो तो विद्युत विभाग उक्त अभियुक्त से नियमानुसार वसूलने/कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,

बहराइच।

J.O. Code-6414